

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन-भोपाल

भोपाल दिनांक 21-05-2025

क्र.एफ/44-10/2019/20-2 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20/06/19 में राज्य शासन एतद द्वारा जारी बी.एड. एवं बी.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम -प्रवेश हेतु अर्हता की कंडिका 3.3 में " विभागीय अभ्यर्थी के लिए बी.एड.पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम 50 वर्ष या उससे कम होना चाहिए के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुए " 01 जुलाई को अधिकतम 55 वर्ष या उससे कम" की जाने की अनुमति प्रदान करता है।

उक्त संशोधन आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

Digitally signed by
Pramod Kumar Singh
Date: 21-05-2025

उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल दिनांक

पृ.क्र एफ/44-10/19/20-2

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त लोकशिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
3. ऑर्डर बुक
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग